

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2016—कार्तिक 3, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्र. डी-15-62-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2221-2384-चौदह-1, दिनांक 26 मार्च 1964 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, दतिया जिला दतिया के मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

ग्राम घुटारी, ग्राम पंचायत रिछारी, तहसील दतिया, जिला दतिया के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.000 हेक्टर (15.00 एकड़) भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	29 में से	6.000 योग . . 6.000

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—महेवा.

दक्षिण में—विजयपुर.

पूर्व में—दतिया-झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग.

पश्चिम में—दतिया-गवालियर राष्ट्रीय राजमार्ग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्र. डी-15-62-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal, the 25th October 2016

No. D-15-62-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following area's including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Datia, District Datia has been established by this department's Notification even dated 26th March, 1964 shall be Additional market yard namely:—

PLACE

An area of 6.000 Hectare's land of below mentioned Khasra number at Gram Gutari, Panchayt Richhari in Tehsil Datia of District Datia:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectar)
(1)	(2)	(3)
1	Into 29	6.000
	Total ..	6.000

BOUNDED BY

On the North by—Maheva.

On the South by—Vijaypur.

On the East by—National Hiway Datia-Jhansi.

On the West by—National Hiway Datia-Gwalior.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURBE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्र. डी-15-62-2016-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक . . . अक्टूबर 2016 द्वारा घोषित मंडी प्रांगण दतिया के निम्नलिखित क्षेत्र को उपमंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

(1) ग्राम घूटारी, ग्राम पंचायत रिछारी, तहसील दतिया, जिला दतिया की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

(1) घूटारी, (2) जखौरिया, (3) गढ़ी, (4) पहाड़ी, (5) चितुपुरा, (6) सिरौल, (7) विजयपुर, (8) दतिया, (9) सीतापुर, (10) डवरावांग, (11) नन्दपुर, (12) तएउथा, (13) समरौली, (14) सोनागिर, (15) सिनावल, (16) महेवा, (17) मुरेरा, (18) रामपुरडांग, (19) मुडेरी, (20) गोबिन्दपुर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2016

क्र. डी-15-62-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal, the 25th October 2016

No. D-15-62-2016-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even Number, dated . . .th October 2016 the following area of Datia of distircit Datia shall be Additional market area:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Ghutari, Gram Panchayat Richhari in Tehsil Datia of District Datia.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the mark yard namely:—
 - (1) Ghutari, (2) Jakhouriya, (3) Gadi, (4) Pahadi, (5) Chitupura, (6) Siroul, (7) Vijaypur, (8) Datia,
 - (9) Sitapur, (10) Dabrabag, (11) Nandpur, (12) Taiutha, (13) Samrauli, (14) Sonagir (15) Sinaval,
 - (16) Maheva, (17) Murera, (18) Rampurdang, (19) Muderu, (20) Govinpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURBE, Dy. Secy.